(तारांकित 01 प्रदेश 1)

(क) प्रदेश में गन्ना मूल्य की देयता पेराई सत्रवार आगणित की जाती है। तद्नुसार दिनांक 29-11-2022 की स्थिति के अनुसार पेराई सत्र 2017–18 में कुल देय गन्ना मूल्य रू.35,463.71 करोड़ के सापेक्ष रू.35,444.06 करोड़ का भुगतान कराया जा चुका है, रू.19.65 करोड़ भुगतान हेतु अवशेष है। पेराई सत्र 2018-19 में कुल देय गन्ना मूल्य रू.33,048.06 करोड़ एवं पेराई सत्र 2019-20 में कुल देय गन्ना मूल्य रू.35,898.85 करोड़ के सापेक्ष शत–प्रतिशत भुगतान कराया जा चुका है। पेराई सत्र 2020–21 में कुल देय गन्ना मूल्य रू.33,014.44 करोड़ के सापेक्ष रू.33,005.52 करोड़ का भुगतान कराया जा चुका है, रू.8.92 करोड़ भुगतान हेतु अवशेष है।इसी प्रकार पेराई सत्र 2021–22 में कुल देय गन्ना मूल्य रू.35,201.34 करोड़ के सापेक्ष रू.32,412.69 करोड़ का भुगतान कराया जा चुका है, रू.2,788.65 करोड़ भुगतान हेतु अवशेष है।

(ख) वर्तमान वित्तीय वर्ष में इच्छुक कृषकों को कीटनाशक, जो चोटी बेधक, अंकुर बेधक एवं अन्य कीटों की प्रभावी रोकथाम हेतु संस्तुत हैं, के वितरण की अनुमति 26 चीनी मिलों को प्रदान की गयी। इस अनुमति के माध्यम से कृषकों को कीटनाशक की दरों पर 20 प्रतिशत छूट की सुविधा प्रदान करने के निर्देश चीनी मिलों को दिये गये हैं।

(ग) उपर्युक्त के दृष्टिगत इनका विवरण सदन के पटल पर रखे जाने की आवश्यकता नहीं रह जाती है।

(घ) प्रश्न नही उठता।

लक्ष्मी नारायण चौधरी

मंत्री

गन्ना विकास एवं चीनी मिलें, उ.प्र.।